

72
आनंद काशीव
... प्रस्तुत
03 MAY 2016
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग



राजस्व पुनरीक्षण कंमाक- वि०-1740-I-16
/2016

राजस्व पुनरीक्षण कंमाक-

- 1- गिरधारीलाल साहू पिता स्व० श्री लेखराम साहू आयु 43 वर्ष
निवासी उमरानाला, तह० मोहखेड, जिला छिंदवाडा।
 - 2- ईश्वरदयाल साहू पिता स्व० श्री लेखराम साहू आयु करीब 45 साल
 - 3- लीलाधर साहू पिता स्व० श्री लेखराम साहू आयु करीब 30 साल,
 - 4- मुरलीधर पिता स्व० श्री लेखराम साहू आयु करीब 27 साल
 - 5- सहदेव साहू पिता स्व० श्री लेखराम साहू आयु करीब 22 साल,
- सभी निवासी ग्राम पौनार, तहसील व जिला छिंदवाडा म०प्र०

पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

- 1- राजाराम पिता स्व० गनपत साहू निवासी बीसापुरकला
निवासी बिसापुरकला, तह० मोहखेड, जिला छिंदा।
- 2- किशोर पिता स्व० गनपत साहू निवासी हतलेवा, तहसील मोहखेड।
- 3- तिजिया बाई पति भागलाल साहू उम्र करीब 45 साल।
- 4- सरला बाई पति स्व० चमरू साहू उम्र करीब 40 साल, दोनो
निवास -सांवरी पोस्ट देवरी, खमारपानी तहसील बिछुआ, जिला
छिंदवाडा।
- 5- सुनीता बाई पति ताराचन्द्र साहू निवासी हरनाखेड़ी पोस्ट कन्हरगांव,
तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाडा

- 2 MAY 2016



- 6- सुमन बाई पति ताराचन्द साहू निवासी हरनाखेड़ी पोस्ट कन्हरगांव
तहसील उमरेठ जिला छिंदवाड़ा।
- 7- सकुन बाई उर्फ लक्ष्मीबाई निवासी इकलहरा, तहसील परासिया।
- 8- सम्पत साहू पिता जयराम साहू मृत/वारिसान

- 1 -शिवकुमारी बाई पति स्व0 सम्पत साहू
- 2-कृपाशंकर पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
- 3-शिवशंकर पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
- 4-रविशंकर पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
- 5-किरण पिता स्व0 सम्पत साहू
- 6-शशिकला पिता स्व0 श्री सम्पत साहू
- 7-कुंती पिता स्व0 सम्पत साहू

सभी निवासी गुलाबरा, छिंदवाड़ा, तह0/जिला छिंदवाड़ा।

- 9- अजाब पिता मंदरूनाई निवासी ग्राम बदनूर, तह./जिला

छिंदवाड़ा

- 10- इमलाबाई पति गजानंद निवासी ग्राम गुबरेल तह0/जिला छिंदवाड़ा
- 11- कासोबा पिता बेड़ा पवार निवासीग्राम बदनूर तह0/जिला छिंदवाड़ा
- 12- गनाराम पिता लालचंद पवार


- 13- जयराम पिता करिया पवार, राजाराम पिता करिया दोनो निवास

ग्राम बदनूर तहसील व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

- 14- ताराबाई पिता किषोर साह निवासी ग्राम हतलेवा तह0/जिला
छिंदवाड़ा

- 2 MAY 2016.

- 15- दयाराम, परसराम पिता दालाजी पवार दोनो निवासी ग्राम बदनूर,
जिला छिंदवाड़ा
- 16- देवकी बाई पति राजाराम साहू निवासी ग्राम हतलेवा तह0/जिला
छिंदवाड़ा
- 17- नारायण पिता मंदरु नाई निवासी ग्राम बदनूर तहसील व जिला
छिंदवाड़ा म0प्र0 7
- 18- बतसिया बाई पति धनाराम पवार निवासी ग्राम गुबरेल तहसील व
जिलाछिंदवाड़ा म0प्र0
- 19- मयाराम, षिवराम पिता दलाजी पवार, दोनो निवासी ग्राम बदनूर
तहसील व जिला छिंदवाड़ा
- 20- विजय कुमार पिता गनपत साहू निवासी ग्राम हतलेवा तहसील व
जिला छिंदवाड़ा
- 21- संकुनतलाबाई पति काषोबा पवार निवासी ग्राम बदनूर तहसील व
छिंदवाड़ा
- 22- संपत पिता मंदरु नाई निवासी ग्राम बदनूर तहसील व जिला
छिंदवाड़ा
- 23- श्यामवती पति नारायण साहू निवासी ग्राम गुबरेल तहसील व जिला
छिंदवाड़ा
- 24- राजाराम पिता दलाजी, यादोराव पिता जयराम, दोनो निवासी बदनूर
तह0/जिला छिंदवाड़ा
- 25- ज्ञानेश पिता गनपत साहू निवासी ग्राम हतलेवा तह0/जिला
छिंदवाड़ा
- 26- गजानंद पिता नत्थू पवार
- 27- तुलसीराम पिता उदेलचंद साहू



2 MAY 2016.

28-डुल्लोबाई पति पन्नालाल, मधु, बिहारी, होरीलाल पिता पन्नालाल,
मही, गणेशी, चन्द्रा, इन्द्रा, हिरिया पुत्री पन्नालाल निवासी गुबरेल
तहसील मोहखेड।

29-भैयालाल पिता उदेलचंद साहू क्रमांक 26 से 29 सभी निवासी
गुबरेल तहसील व जिला छिंदवाड़ा

30-किसन, श्यामराव, रामा, बसंत, जामवती, मीना पिता हीरू मेहरा,
निवासी ग्राम गेबरेल तहसील व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

31-गनपत पिता गोरेलाल, राजेश, गनेष, रमेश पिता पिलाजी, कमला
विधवा पिलाजी, निवासी गुबरेल तहसील व जिला छिंदवाड़ा म0प्र0

..... गैरपुनरीक्षणकर्ता

रिक्वीजन अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भूराजस्व संहिता -1959

आदेश दिनांक 9.3.2016 पक्षकारगिरधारी लाल विरुद्ध राजाराम साहू व
अन्य ,अपील क्रमांक 409/अ-27/15-16 मे न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर
जबलपुर संभाग के आदेश से व्यथित होकर उक्त रिक्वीजन माननीय
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है:-

संबंधित अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का

विवरण:-

अ- मामला क्रमांक 101/अ-27/2009-10 न्यायालय नायब
तहसीलदार मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा द्वारा पारित आदेश
दिनांक 6/10/2012, पक्षकार गिरधारी व अन्य विरुद्ध
राजाराम व अन्य।

26 MAY 2010

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक निगरानी 1740-एक/2016 जिला-छिन्दवाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाक्तों आदि के हस्ताक्षर
6.08.18	<p>प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित है। मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित है कि अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी सौंसर का आदेश दिनांक 22.1.16 एवं अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 409/अ-27/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 9.3.16 में समान निष्कर्ष दिये गये हैं।</p> <p>2-यह कि अनावेदकगण की ओर से आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 (3) सी० पी० सी० का अवलोकन किया जिसमें यह विधिक बिन्दु अनावेदक की ओर से उठाया गया है कि अनावेदक क्रमांक 21 एवं 22 की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है जिसकी सूचना स्वयं आवेदकगण एवं आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 1.3.2017 को दी गई थी किन्तु 90 दिवस की अवधि के उपरांत भी मृत अनावेदकगण के विधिक वारिसानों की जानकारी नहीं दी गई और न ही उन्हें रिकार्ड पर लिया गया। इसलिये आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट के अनुसार यदि मृतक वारिसानों को 90 दिन की अवधि के अंदर यदि अभिलेख पर नहीं लाया जाता है तो निगरानी स्वतः ही अवैट हो जाती है।</p>	

प्र० क० निगरानी 1740-एक/2016 जिला-छिन्दवाडा

//2//

3-अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वह उचित प्रतीत होते हैं। अतः मृत अनावेदकगण क्रमांक 21, 22 के विधिक वारिसानों को समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत न किये जाने के कारण वर्तमान निगरानी स्वमेव अवैट हो चुकी है। अतः निगरानी इसी स्तर पर निरस्त की जाती है।


सदस्य

